Redundant Staff of DTC

3060. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have identified the redundant staff of the DTC;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Government propose to give buses to every five of them under golden handshake scheme so that they can operate these buses and earn their livelihood; and

(d) if so, the details thereof and what is the response of the DTC staff to such a proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) As per current norms DTC have a surplus of 2389 employees in the category of conductors. These norms are under review.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निधियों के आबंटन की नई नीति

3061. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री 15 जुलाई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 713 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को निधियों का आबंटन करने के लिये कोई नई नीति निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निधियां आबंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन संबालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के बारे में 13-5-1988 को संसद द्वारा पारित संशोधित संकल्प से है जिसके लिए उपकर को बढ़ाकर पैट्रोल की मूल कीमत का 5% किया जाना है और डीजल को इसके कार्य क्षेत्र में लाया जाना है । तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि होनी अभी शेष है ।

(ग) इस समय, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्कीमों को प्रत्येक राज्य के मुक्त-आवंटन, अर्थात् पुराने संकल्प के अनुसार होने वाली कुल आय (अकुअल्स) में से अभी तक अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत को घटाने पर शेष रही राशि को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जा रहा है । तथापि केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राशियों को राज्य के लिए अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, विगत में जारी की गई कुल राशियों, प्रवर्ती संस्वीकृतियों के अधिशेष, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकताओं, राज्य द्वारा मांगी गई राशियों तथा बजटगत प्रावधान में राशियों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर जारी किया जाता है । उपर्युक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राशियां जारी नहीं की जा सकी क्योंकि उन्हें कोई राशि देय नहीं थी । वर्ष 1991-92 में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को कोई राशि जारी नहीं की गई क्योंकि उनसे राशि संबंधी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी ।